दिनांक	कार्यवाही
19.12.17	~~पत्रावली पेश। वकील इजराएदार उपस्थित। पालना रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली आयन्दा वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार हेतु दिनांक 6.2.18 को पेश हो।~~ सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
6-2-18	पत्रावली पेश। वकील इजराएदार उपस्थित। पालना रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली आयन्दा ~~निरीक्षण~~ वास्ते पालना रिपोर्ट इन्तजार हेतु दिनांक 20.3.18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
20.3.18	पत्रावली पेश हुई। वकील इजराएदार उप०। पालना रिपोर्ट तहसीलदार पिण्डवाड़ा से प्राप्त नहीं हुई है। अतः स्मरण पत्र जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 3.4.18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
3.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील इजराएदार उप०। पालना रिपोर्ट तहसीलदार से अप्राप्त। पत्रावली आयन्दा वास्ते पालना रिपोर्ट हेतु दिनांक 11-4-18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा
11-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकील व पेशकार सरकार उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय R.O. बैठक में बाहर होने से पत्रावली पूर्व आदेश कि पालना में आयन्दा दिनांक 2-5-18 को पेश हो।
2/05/18	पत्रावली कैम्प न्यायालय तेलपुर में प्रस्तुत हुई। यह इजराय प्रार्थना पत्र [illegible] की तामील [illegible] तहसीलदार

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पिण्डवाड़ा के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया की उपखण्ड अधिकारी न्यायालय पिण्डवाड़ा ने उनके अन्तर्गत धारा 251A प्रार्थना पत्र पर वाद ट्रायल दिनांक 4.6.16 को आदेश पारित किया की ख. सं. 836 प. मं तेलपुर व रकबा 62.11 बीघा भूमि में से उनके आराजीयात कृषि भूमि में जाने हेतु प्रस्तावना अनुसार रास्ता दर्ज किया जावे। लेकिन भूमि खाते प्रतिवादी ने उक्त रास्ते का अंकन नहीं किया है, अतः न्यायालय के आदेश की पालना करवाई जावे। प्रकरण को 29.9.17 को दर्ज कर भूमिधारी को नोटिस रजिस्ट्री कर जारी किया गया। उक्त नोटिस के क्रम में तहसीलदार पिण्डवाड़ा (प्रतिवादी) ने अपने पत्रांक राजस्व/2018/21 दिनांक 3.5.18 द्वारा कैम्प न्यायालय में पालना प्रस्तुत की तथा संलग्न जमाबंदी के खाता सं. 272 में जरीये नामान्तरण संख्या 937 दि. 8.2.17 का अंकन कर प्रस्तुत कर निवेदन किया की क्युकि प्रकरण में न्यायालय आदेश की पालना कर ली गई है, तथा क्योंकि अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, अतः प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों व प्रस्तुत प्रतिउत्तर व वादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व उस पर मनन किया। अपेक्षित समस्त	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पिण्डवाड़ा (सि

श्री .... बनाम श्री ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर.......................... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी
	रिपोर्ट तहसीलदार को शामिल मिसल करते हुए, क्योंकि प्रकाशित आदेश की पालना प्रतिवादी द्वारा कर लिये जाने से कार्यवाही ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल [illegible] होकर नबंर से कम की जावे। आदेश सरे इजलास, खुले आम में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड मजिस्ट्रेट पिण्डवाड़ा (सिरोही)	